

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक 6182238

पटना, दिनांक 03.09.26

ग्रा0वि0-6-बजट(RSETI)/05-11/2026

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2026-27 में मांग संख्या-42 के तहत NRLM अंतर्गत RSETI योजना के क्रियान्वयन हेतु केन्द्रांश के सामान्य मद में बजट उपबंधित राशि में से प्रशिक्षण व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए Mother Sanction के रूप में विमुक्त केन्द्रांश की राशि रू0 628.00 लाख (छह करोड़ अठाइस लाख) की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में ।

आदेश :- स्वीकृत ।

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे निर्धन परिवारों को जीविकोपार्जन बढ़ाना एवं विस्तार करना, वित्तीय समावेशन, रोजगार पाने योग्य कुशल बनाना तथा स्वरोजगार को बढ़ावा देना एवं आजीविका संवर्द्धन से जोड़ने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आ0एल0एम0) योजना चलाई जा रही है ।

2. NRLM (एन0आ0एल0एम0) अंतर्गत RSETI (Rural Self Employment Training Institute) एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम है, जिसमें ग्रामीण गरीब युवाओं के प्रशिक्षण व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए शत-प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाती है ।

3. वित्तीय वर्ष 2026-27 में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्रांक-G-20011/19/2015-RL (345879)-12 दिनांक-11.08.2026 द्वारा RSETI योजना के क्रियान्वयन हेतु केन्द्रांश के सामान्य मद में वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रशिक्षण व्यय के लिए कुल राशि रू0 628.00 लाख (छह करोड़ अठाइस लाख) Mother Sanction के रूप में विमुक्त किया गया है ।

4. NRLM (एन0आ0एल0एम0) अंतर्गत RSETI (Rural Self Employment Training Institute) एक शत-प्रतिशत (100%) केन्द्र प्रायोजित स्कीम है । इस प्रकार RSETI योजनान्तर्गत कुल विमुक्त केन्द्रांश की राशि रू0 628.00 लाख (छह करोड़ अठाइस लाख) का आवंटन बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) को किया जाना है ।

5. NRLM (एन0आ0एल0एम0) अंतर्गत RSETI स्कीम के केन्द्रांश मद के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल रू0 3716.00 लाख (सैंतीस करोड़ सोलह लाख) का योजना उदव्यय है एवं समतुल्य राशि का ही बजट उपबंध निर्धारित किया गया है । वित्त विभागीय पत्रांक-380 दिनांक-20.04.2026 द्वारा केन्द्र प्रायोजित स्कीम (केन्द्रांश एवं राज्यांश मद) में बजट प्रावधानित राशि के व्यय के संबंध में निर्धारित चौमाही प्रतिशत बंधेज को शत-प्रतिशत तक शिथिल किया गया है ।

6. उक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष-2026-27 में NRLM (एन0आर0एल0एम0) अन्तर्गत RSETI के क्रियान्वयन हेतु केन्द्रांश के सामान्य मद में बजट उपबंध के अधीन विमुक्त केन्द्रांश के आलोक में निम्नवत राशि की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

(राशि लाख ₹0 में)

क्र0सं0	मद एवं विपत्र कोड (विषय शीर्ष सहित)	केन्द्रांश
1	2	3
1	मुख्य शीर्ष- 2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम उप मुख्य शीर्ष- 06 स्वरोजगार कार्यक्रम लघुशीर्ष- 102 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, उप शीर्ष- 0202 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) (एन0आर0एल0एम0) योजना विपत्र कोड 42- 2501061020202 विस्तृत शीर्ष- 31 सहायक अनुदान विषय शीर्ष 06- गैर वेतन (सामान्य मद)	628.00
कुल :-		628.00 लाख (छह करोड़ अठाइस लाख)

7. अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा स्वीकृत राशि को CFMS 2.0 के माध्यम से मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका), पटना को Mother Sanction उपलब्ध करायी जायेगी ।

8. वर्तमान में Mother Sanction के रूप में प्राप्त केन्द्रांश (100 प्रतिशत) की राशि ₹0 628.00 लाख (छह करोड़ अठाइस लाख) का व्यय SNA SPARSH खाते से किया जायेगा ।

9. स्वीकृत राशि का व्यय वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत आदेशों में निहित प्रावधानों के तहत किया जायेगा ।

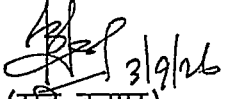
10. मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका), पटना द्वारा योजना का अलग से लेखा संधारण सुनिश्चित किया जायेगा । SNA-SPARSH Module से राशि के निकासी के आलोक में विहित प्रावधान के तहत व्यय सुनिश्चित कराया जायेगा ।

11. वित्त मंत्रालय भारत सरकार का पत्रांक-F.N.1(27)/PFMS/2020 दिनांक-13.07.2023, 07.08.2023, 20.11.2023, 16.01.2024, 20.06.2024 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य निदेश के आलोक में राशि का व्यय/हस्तान्तरण सुनिश्चित किया जायेगा ।

12. प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0- ग्रा0वि0-6-बजट(RSETI)/05-11/2026 के पृष्ठ- 04/टि0 पर दिनांक- 25.08.2026 को प्राप्त है ।

12. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन संचिका सं०- ग्रा०वि०-6-
बजट(RSETI)/05-11/2026 के पृष्ठ- ०५/टि० पर दिनांक- ०२.०९.२०२६ को प्राप्त है ।

विश्वासभाजन

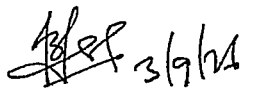

(रवि कुमार)

ज्ञापांक 6182238 पटना, दिनांक ०३.०९.२६
प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन स्थित सचिवालय कोषागार, पटना
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ज्ञापांक 6182238 पटना, दिनांक ०३.०९.२६
प्रतिलिपि- निदेशक, (RS), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, सातवाँ तल्ला,
NDCC बिल्डिंग-II, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001/ वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार,
पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन
पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना /लेखा शाखा/ आई०टी०मैनेजर को (विभागीय
वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ज्ञापांक 6182238 पटना, दिनांक ०३.०९.२६
प्रतिलिपि-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRLPS-सह-राज्य मिशन निदेशक, राज्य
ग्रामीण आजीविका मिशन, विद्युत भवन, एनेक्सी-2, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक 6182238 पटना, दिनांक ०३.०९.२६
प्रतिलिपि- आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/ आयुक्त
स्वरोजगार, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार
के वरीय प्रधान आप्त सचिव/ विभागीय बजट शाखा (प्रशाखा-10) को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


सरकार के संयुक्त सचिव